भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केंद्रीय मनो-चिकित्सा संस्थान, रांची में रोकड़िया के पद के लिए भर्ती नियमों के ससौदे के संबंध में सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में केंद्रीय मनोरोग-विज्ञान संस्थान, रांची में रोकड़िया के पद हेतु भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप से श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली– 110108 को अथवा ई-मेल पता: ajaya59@gmail.com पर दे सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

<u>अनुलग्नक</u>

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	प्रस्तावित भर्ती नियमों के मसौदे में प्रावधान	टिप्पणियां
1.	पद का नाम	रोकड़ियां	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 03.03.9014 के पत्र सं. ए.11013/1/2008-पीएच.I के तहत यह नया सृजित पद है।
2.	पदों की संख्या	1* (कार्य के भार पर निर्भर विभिन्नता के अधीन)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 03.03.9014 के पत्र सं. ए.11013/1/2008-पीएच.I के तहत यह नया सृजित पद है।
3.	वर्गीकरण	सामान्य, सिविल सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	पद के सृजन के समय पद की जांच-सूची के अनुसार पद को समूह 'ग' में वर्गीकृत किया गया है तथा डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार लेवल 4 अर्थात् 2400/- रुपए ग्रेड वेतन में पद को समूह 'ग' में वर्गीकृत किया गया है।
4.	वेतनमान (अब वेतन मैट्रिक्स में वेतन)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल 4 (25500 रुपए)	यह पद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 03.03.2014 के पत्र सं. ए.11013/1/2008-पीएच.I के तहत लेवल-4 अर्थात् रु. 2400/- ग्रेड वेतन में सृजित किया गया है तथा इसके अनुसार इसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिश एवं सीसीएस (आरपी) नियमों के अनुसार प्रति-स्थापित किया गया है।
5.	क्या यह चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	गैर-चयन पद	डीओपीटी के दिनांक 31.03.2015 के दिशा-निर्देशों एबी.14017/13/2013-स्था. (आरआर) के तहत यदि सदृश समूह अर्थात् समूह 'ग' से समूह 'ग' में पदोन्नति होती है तो उसका तरीका गैर-चयन होगा।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	चूंकि इस पद को पदोन्नति आधार पर भरा जाना है अत: यह खंड लागू नहीं होता।
7.	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	लागू नहीं	चूंकि इस पद को पदोन्नति आधार पर भरा जाना है, अत: यह खंड लागू नहीं होता।
8.	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के	लागू नहीं	चूंकि इस पद को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदों के उसी समूह के भीतर पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, अत: यह खंड लागू नहीं होता।

	मामले में भी लागू होंगी।		
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	कोई परिवीक्षा अवधि नहीं है।	दिनांक 31.03.2015 के जीओपीटी के दिशानिर्देशों एबी. 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार, यदि पदोन्नति सदृश समूह अर्थात् समूह 'ग' से समूह 'ग' में हो, तो वहां कोई परिवीक्षा अवधि नहीं होगी।
10.	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	100% पदोन्नति द्वारा	जैसाकि सीआईपी, राची द्वारा प्रस्ताव किया गया है, पद को पदोन्नति आधार पर भरा जाना है।
11.	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	अवर श्रेणी लिपिक में से ग्रेड में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।	फीडर संवर्ग अवर श्रेणी लिपिक है। सीआईपी, रांची में अवर श्रेणी लिपिक 16 पद हैं।
12.	क्या विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, उसकी संरचना कैसी है।	विभागीय पदोन्नति समिति: निदेशक, सीआईपी-अध्यक्ष चिकित्सा अधिकारी सदस्य सहायक प्रोफेसर- सदस्य प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य	विभागीय पदोन्नति के लिए डीपीसी आवश्यक है।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं	यह समूह 'ग' पद के लिए लागू नहीं है।